APP-A
crim-I

# FORM No. III

## फर्द अहकाम 2082/80

(नियम 26)

अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

[illegible] बनाम सीमा वगै.

223 RTA मुकदमा नं. 53/22

मुकदमा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08/08/22 | अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे आवश्यक पक्षकार था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे केवल मात्र हरिमोहन पुत्र हजारी एवं सीमा पुत्री हरिमोहन पत्नि भरोसी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रकरण को डिक्री किया गया है। जो विधि विरूद्व है। प्रकरण मे अपीलांट आवश्यक पक्षकार होने से अपीलांट को भी इस बाबत सूचना या सहमति आवश्यक थी जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही ली गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण कायम तनकीयात मे विचाराधीन थी जिसको विधि विरूद्व जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट की बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे कायमी तनकीयात मे नियत था एवं अपीलांटान आवश्यक पक्षकार थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को बिना अपीलांटान की सूचना एवं बिना साक्ष्य सबूत प्राप्त किये ही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है तथा विधि संगत निर्णय नही है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।<br><br>अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 60/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.19 को आपस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विधि अनुसार तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन विश्लेषण कर तथा उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत का | |

Scanned with CamScanner

**राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर**

उनवान.......................................बनाम.......................................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ दिनांक 22.08.2022 को उपस्थित होवे।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>सवाई माधोपुर | |

Scanned with CamScanner